

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II)का कार्यालय, केरला, तिरुवनंतपुरम
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT II),
KERALA THIRUVANANTHAPURAM

लेप-II/प्रशा./विविध/14-1/2023-24/
No. Au.II/Admn/Misc./14-1/2023-24/

दिनांक: 01.02.2024

कार्यालय आदेश / OFFICE ORDER No. 07

विषय: वित्तीय शक्तियों का पुनःप्रत्यायोजन – बावत्
Sub: Re-delegation of Financial Powers – reg.

वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 का नियम 13(3) एवं उसके अंतर्गत भारत सरकार के निर्णय 7 के साथ पठित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के स्थायी आदेशों (प्रशासनिक) की नियम-पुस्तिका, खण्ड II, तीसरे संस्करण के धारा 'क' के अंतर्गत क्रम सं.7 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं एतद्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 की अनुसूची V के तहत प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा II) को प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों को वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन एवं ए एम जी I), मुख्य कार्यालय, तिरुवनंतपुरम तथा उप महालेखाकार (ए एम जी III), शाखा कार्यालय, तृशूर को निम्नलिखित के अधीन पुनः प्रत्यायोजित करता हूँ।

In exercise of the powers conferred under Rule 13(3) of the Delegation of Financial Power Rules, 1978 and the Government of India Decision 7 thereunder read with Serial No. 7 under Section A of the Comptroller and Auditor General's Manual of Standing Orders (Administrative), Volume II, Third Edition, I hereby re-delegate the financial powers delegated to the Principal Accountant General (Audit II), Kerala under Schedule V to the Delegation of Powers Rules, 1978 to Senior Deputy Accountant General (Admn & AMG I), Main Office, Thiruvananthapuram and Deputy Accountant General (AMG III), Branch office, Thrissur subject to the following:

1. वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करने के लिए समूह अधिकारियों द्वारा सामान्य वित्तीय नियमावली तथा वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में अंतर्निहित सामान्य प्रावधानों का पालन किया जाएगा।
Group Officers will follow general provisions contained in the General Financial Rules and delegation of Financial Powers Rules, 1978 in exercise of the financial powers.
2. उनके द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि पुनःप्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों का प्रयोग, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), केरला के लिए उपलब्ध बजट के भीतर हो।
They will ensure that the exercise of the re-delegated financial powers is within the budget allotment available for the O/o PAG (Audit-II), Kerala.
3. वित्तीय शक्तियों का संशोधित प्रत्यायोजन इस आदेश के जारी करने की तारीख से लागू होगा और तीन वर्षों की समाप्ति या उससे पहले पुनरीक्षित किया जाएगा।
The revised delegation of financial powers will be from the date of issue of this order and will be reviewed at the end of three years or earlier.


प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II)
Principal Accountant General (Audit-II)

सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रति निम्नलिखितों को अग्रपिप्त:

Copy forwarded for information and necessary action to:

1. व.उप म ले (प्रशासन एवं ए एम जी I)/ Sr. DAG (Admn& AMG I)
2. उप म ले (ए एम जी II) / DAG (AMG II)
3. उप म ले (ए एम जी III), शा.का. तृशूर /DAG(AMG-III), Branch office, Thrissur
4. प्र म ले के सचिव / Secretary to PAG
5. व. लेप.अ/ प्रशासन, सामान्य / Sr.AO/Admn, General
6. व. लेप.अ/विल्स, हक, रोकड / Sr.AO (Bills/Entt/Cash)
7. व. लेप.अ/का.स्था, प्र.म.ले (लेप-I) का कार्यालय, शा.का. तृशूर
Sr.AO(OE), O/o PAG (Audit-I), Branch office, Thrissur
8. भुगतान एवं लेखा अधिकारी, प्र.म.ले (ले व ह) का कार्यालय, केरला
Pay and Accounts Officer, O/o the PAG(A&E), Kerala